

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

दिनांक: 20/01/2015

नीलामी सूचना

सर्वसाधारण को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल में न्यायालय के पुराने यू.पी.एस., प्रिन्टर, स्पीकर, हैंड-फोन तथा माइक की नीलामी हेतु मुहरबन्द निविदायें आमंत्रित की जाती हैं।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में रु.5,000/- (रिफण्डेबल) तथा रु.200/- (नॉन-रिफण्डेबल) के अलग-2 डिमान्ड ड्राफ्ट जो "महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल" के नाम देय हों, मुहरबन्द निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 10/02/2015 की दोपहर 12:00 बजे तक जमा करने होंगे। प्राप्त निविदायें दिनांक 10/02/2015 की सायंकाल 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेंगी।

इच्छुक व्यक्ति/फर्म, निविदा की समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नजारत अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है। विवरण उच्च न्यायालय की वैबसाइट <http://highcourtofuttarakhand.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

ह0/-

महानिबन्धक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल

प्रतिलिपि निम्न को इस आशय के साथ प्रेषित है कि वे अपने नोटिस बोर्ड पर इसे वृहद प्रचार हेतु चस्पा कराने की कृपा करें:-

1. जिला न्यायाधीश, नैनीताल।
2. आयुक्त, कुमांऊ मण्डल, नैनीताल।
3. जिलाधिकारी, नैनीताल।
4. जिला सूचना अधिकारी, नैनीताल।
5. अधिशाषी अभियन्ता, नगर पालिका परिषद, नैनीताल।
6. लोक निर्माण विभाग, उच्च न्यायालय परिसर, नैनीताल।
7. अपर जिला न्यायाधीश, सिविल कोर्ट, हल्द्वानी।
8. तहसील कार्यालय, हल्द्वानी।
9. न्यायालय के नोटिस बोर्ड एवं अन्य सार्वजनिक स्थानों पर चस्पा करने हेतु।

सहायक निबन्धक (नजारत)
उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

नियम एवं शर्तें

1. इच्छुक व्यक्ति/फर्म, नीलामी की समस्त शर्तों/नियमों का विवरण तथा सामग्री का अवलोकन किसी भी कार्य दिवस में नजारेत अनुभाग से सम्पर्क कर प्राप्त कर सकता है। विवरण उच्च न्यायालय की वेबसाइट <http://highcourtforuttarakhand.gov.in> पर भी उपलब्ध है।
2. नीलामी में भाग लेने वाले व्यक्ति/फर्म को नीलामी में भाग लेने हेतु जमानत के रूप में रु.5,000/- (रिफण्डेबल) तथा रु.200/- (नॉन-रिफण्डेबल) के अलग-2 डिमान्ड ड्राफ्ट जो "महानिबन्धक, उच्च न्यायालय, नैनीताल" के नाम देय हों, मुहरबन्द निविदा के साथ संलग्न कर दिनांक 10/02/2015 की दोपहर 12:00 बजे तक जमा करने होंगे।
3. प्राप्त निविदायें दिनांक 10/02/2015 की सायंकाल 3:00 बजे अधोहस्ताक्षरी/अधिकृत अधिकारी के समक्ष खोली जायेंगी।
4. मा0 उच्च न्यायालय, नैनीताल के अधिष्ठान में कार्यरत कर्मचारी भी उक्त नीलामी के भाग ले सकते हैं।
5. सभी यू.पी.एस. चालू स्थिति में हैं लेकिन बैट्री बैक-अप सम्बन्धित दिक्कत हो सकती है। सभी प्रिन्टर, स्पीकर, हैड-फोन तथा माइक चालू स्थिति में हैं।
6. समिति द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बन्द बोली तभी अन्तिम मानी जायेगी जब माननीय विभागाध्यक्ष द्वारा अनुमोदित कर ली जाये। माननीय उच्च न्यायालय द्वारा स्वीकार की गयी उच्चतम बोली के बाद किसी भी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
7. इच्छुक व्यक्ति/फर्म का स्वयं उत्तरदायित्व होगा कि जमानत जमा करने से पूर्व नीलाम किये जाने वाली सामग्री का सम्यक् रूप से निरीक्षण कर लें। निरीक्षण का अर्थ सामग्री को चलाकर दिखाना या चलाकर देखने देना, कदापि नहीं होगा। सामग्री जो न्यायालय परिसर में जहां है, जैसी है, वैसी ही स्थिति में नीलाम की जायेगी।
8. सफल बोली दाताओं को उनके द्वारा लगाई गई बोली के अतिरिक्त सम्बन्धित टैक्स (जैसा लागू हो) भी देना होगा। तथा सामान उठाने से पूर्व स्वयं के पहचान-पत्र की फोटोकॉपी तथा एक फोटो जमा कराना होगा।
9. असफल बोली दाताओं का रु.5,000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट अगले दिन वापस कर दिया जाएगा। सफल बोली दाता का रु.5,000/- का डिमान्ड ड्राफ्ट, समस्त धनराशी जमा करने तथा सामान को उठवाने के उपरान्त ही वापस किया जाएगा।
10. सामग्री के मूल्य (निर्धारित न्यूनतम मूल्य से ऊपर) संलग्न फार्म-1 में भरकर जमा करने होंगे। इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नियम एवम् शर्तों की कॉपी तथा संलग्नक फार्म-1 को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके जमा करना होगा। सामग्री किसी भी दशा में निर्धारित न्यूनतम मूल्य से नीचे नीलाम नहीं की जाएंगी।
11. निविदाकर्ता द्वारा सामान का समस्त मूल्य माननीय न्यायालय के रोकड़ अनुभाग में जमा करने के उपरान्त ही सामान उठाने दिया जाएगा।
12. समस्त सामग्री को 03 दिवसों के अन्दर उठाना होगा। 03 दिवसों के अन्दर सामान न उठाने तथा/अथवा समस्त धनराशी जमा न कर पाने की स्थिति में समस्त सुरक्षा धनराशी जब्त कर ली जाएगी।
13. माननीय उच्च न्यायालय को बिना कारण बताए नीलामी की तिथि में परिवर्तन करने तथा समस्त नीलामी प्रक्रिया को निरस्त करने का अधिकार होगा।
14. यदि माननीय न्यायालय के संज्ञान में यह बात आती है कि बोली दाताओं ने आपस में साठ-गांठ कर ली है जिसकी वजह से संस्था को उचित मूल्य नहीं मिल रहा है तो ऐसी स्थिति में नीलामी निरस्त/स्थगित करने का पूर्ण अधिकार माननीय न्यायालय को होगा।
15. इच्छुक व्यक्ति/फर्म को नियम एवम् शर्तों की कॉपी तथा संलग्नक फार्म-1 को भरकर तथा यथास्थान हस्ताक्षर करके जमा करना होगा।
16. नीलामी सम्बन्धी किसी भी कानूनी कार्यवाही का वाद क्षेत्र केवल जनपद नैनीताल स्थित न्यायालय होगा।

ह0/-

महानिबन्धक

उत्तराखण्ड उच्च न्यायालय, नैनीताल।

फार्म-1

- व्यक्ति/फर्म का नाम:-
- पूरा पता:-
.....
.....
.....
- मोबाइल/फोन नम्बर:-
- सुरक्षा धनराशी के डिमान्ड ड्राफ्ट का विवरण:-
 - रु.5,000/- (रिफण्डेबल)
 - रु.200/- (नॉन-रिफण्डेबल)
- सामग्री का लगाया गया मूल्य:-

क्र. सं.	सामग्री का विवरण	मात्रा	निर्धारित न्यूनतम मूल्य	लगाया गया मूल्य
1.	Nexus 600 VA	34	400.00 each	
2.	Numeric 600 VA	06	500.00 each	
3.	Microtek 500 VA	08	500.00 each	
4.	APC 500 VA (new)	09	800.00 each	
5.	APC 500 VA (old)	05	400.00 each	
6.	Guard 600 VA	04	500.00 each	
7.	Detex 500 VA	04	600.00 each	
8.	Zebronic 600 VA	03	600.00 each	
9.	Perfect 600 VA	02	600.00 each	
10.	HCL 600 VA	02	500.00 each	
11.	Uniline/Elnova/Necola /Lineentrac etc. 600 VA	10	400.00 each	
12.	APC White 500 VA	01	400.00	
13.	HCL: Speaker (pair)	43	200.00 each	
14.	Odyssey: Head Phone	53	50.00 each	
15.	Mike	15	20.00 each	
16.	Printer: 840C (coloured)	02	500.00 each	

स्थान:-

दिनांक:-

व्यक्ति/फर्म के हस्ताक्षर